प्रेषक,

संख्या:27/सू0लो0स0/2004–6 सूचना/2001

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

सूचना अनुभाग

देहरादून, दिनांक 12 मार्च, 2004

विषयः– वित्तीय वर्ष 2003–2004 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–14 के लेखाशीर्षक– 2220–सूचना तथा प्रचार के लिए आयोजनेत्तर पक्ष में अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक 2004 एवं शासनादेश संख्याः 67/सू0लो0स0/44/2003 दिनांकः 19 जुलाई 2003 के तथा शासनादेश सं0: 125/सू0लो0सं0 2003–06 सूचना/ 2001 दिनांकः 22 जनवरी 2004 एवं आपके पत्रांक–470/सू0एवंलो0सं0वि0/लेखा/बजट/ 2003–04 दिनांकः 3 फरवरी 2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में उपरोक्त शासनादेशों द्वारा रू0 5.15 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, अब अन्तिम किस्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 85.00 लाख (रूपये पिच्चासी लाख मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही किया जायेगा तथा किसी भी दशा में नई मदों पर तथा अन्य प्रयोजन पर नहीं किया जायेगा।

3. उपरोक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय करने का अधिकार नहीं देता है जिसे व्यय करने के लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है ऐसा व्यय संबंधित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. किसी भी शासकीय व्यय हेतु स्टोर, परचेज रूल्स, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश, आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दि0 31–3–2004 तक उपयोग कर लिया जायेगा।

6. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–14 के लेखाशीर्षक–2220–सूचना तथा प्रचार–60–अन्य व्यय–आयोजनेतर–101–विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार–05–अधिष्ठान –19–विज्ञापन बिकी और विख्यापन व्यय के नामें डाला जायेगा।

7. विभाग में उपरोक्तानुसार जारी स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाय एवं दिनांकः 31 मार्च 2004 से पूर्व

आवंटित धनराशि को व्यय कर अवशेष धनराशि को इस तिथि तक शासन को समर्पित कर दिया जाय।

8– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या–3163 /वित्त अनु0–3/2004 दिनॉक 12 मार्च, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव

संख्या 27 (1) सू0लो0स0/2004–6 सूचना/2001 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, सत्यनिष्ठा भवन, इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
5. श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
6. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
7. गार्ड फाईल, सूचना विभाग।

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव